रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 428] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 1991/श्रावण 8, 1913
No. 428] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 1991/SRAVANA 8, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1991

का. आ. 495(अ) :– केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि वह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यान को उक्त सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में यान के गुरुतर वजन अर्थात निरापद अधिकतम, लदान सहित वजन और प्रत्येक धुरी के निरापद अधिकतम धुरी वजन के लिये, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. 416(अ) तारीख 8-6-1989 में विनिर्दिष्ट है, अनुज्ञा दे सकेगी,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त सारणी के नीचे विनिर्दिष्ट उपांतरणों/शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपधारा (3) के उपबंध उक्त प्रकार के यान को इस आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगे।

सारणी

यान का प्रकार	चलाने का क्षेत्र (मार्ग)	यान का कुल वजन	पंजीकृत धुरी का वजन
1	2	3	4
ड्रिलिंग रिग डी टी एच XI चैसिस नं. 13642 इंजन नं. 40539405 हाइड्रोलिजिस्ट (जो. नि. वि.) भूतल जल प्रभाग, वेल्लोर से संबद्ध	तमिलनाडु राज्य	28.35 टी	सामने के एक्सल का अधिकतम भार–9.14 टी सामने के एक्सल का अधिकतम भार–19.21 टी सामने के एक्सल का अधिकतम भार–9.605 टी

ऊपर दी गई छूट निम्नलिखित उपांतरणों/शर्तों के अधीन होगी :—

(1) मार्ग या मोड़ पर या उसके पास बाधाओं और प्रतिबाधाओं जैसे वृक्ष की शाखा और भवन का पूर्वत निर्धारण करने के लिए सावधानी बरतनी होगी,

(2) केन्द्रीय सरकार उक्त यान के अविहन में या उसमें लदी वस्तुओं को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी,

(3) उक्त यान के संचलन/चलाने के कारण, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा अनुरक्षित या पर्यवेक्षित सड़क या सड़क के ढांचे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुए नुकसान के लिए आप्रेटर/मालिक उत्तरदायी होगा और उक्त आप्रेटर/मालिक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नुकसानी राशि के संदाय के लिए जिम्मेदार होगा,

(4) उक्त यान सड़क/मार्ग पर सामान्य रूप से चलने वाले यातायात को बिना कोई बाधा या प्रतिबाधा पहुचाएं चलेगा।

(5) उक्त यान की सीमा को स्पष्ट और उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए उस पर आवश्यक चेतावनी सूचक जैसे दिन के समय में लाल झण्डे लगाए जाएंगे और रात के समय में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाएगा,

(6) आप्रेटर चालक को स्थानीय निकायों या अन्य सरकारी विभागों से उनकी सड़कों पर उक्त यान को चलाने के लिए आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी,

(7) राजमार्ग पुल, पुलिया या अन्य सड़क या सड़क के ढांचे के प्राधिकारी उक्त यान के संचालन को आपातकाल परिस्थितियों और सड़क के ढांचे की दशा के कारणों से रोकने के हकदार होंगे,

(8) गति सीमा 16 कि. मी. प्रति घंटा होगी,

(9) उक्त यान के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट बजन को बढ़ाया नहीं जाएगा,

(10) उक्त यान राजमार्ग सड़क के सम्बद्ध क्षेत्रीय इंजीनियर को पर्याप्त अग्रिम पूर्व सूचना के पश्चात् चलाए जाएंगे,

(11) रेल के समतल पारण या ऊपरी/निचले पुल को पार करने से पहले रेल प्रशासन से अलग से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी,

(12) किसी सड़क ढांचे/पुल/पुलिया/काजवे पर चलते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त यान किसी गति से कोई समाधत कारित किए बिना चलेगा और उसे ब्रेक नहीं लगाए जाएंगे और यह उस समय चलेगा जब उस ढांचे पर अन्य कोई वाहन न हो।

[सं. आरटी–11042/18/89–एमबीएल]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

ORDER

New Delhi, the 30th July, 1991

S.O. 495 (E).—Whereas the Central Government is of the opinion that heavier weight that the maximum safe laden weight and the maximum safe axle weight of each axle of the vehicle as specified in this Ministry's notification No. S.O. 416(E), dated 8-6-89 issued under sub-section (i) of Section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) may be permitted for the vehicle of the type specified in column (1) of the table given below in the locality specified in column (2) of the said table :

Now, therefore in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 58 of the said Act, the Central Govt. hereby directs that the provisions of the said sub-section (3) shall apply to the said type of vehicle for a period of one year from the date of this order subject to the modifications/conditions specified hereunder below the said table :—

Table

Type of vehicle	Locality of operation	Gross vehicle weight	Registered axle weight
1	2	3	4
Drilling Rig DTH XI bearing Chassis No. 13642 and Engine No. 40539405 belonging to Hydrogeologist (P.W.D.), Ground Water Division, Vellore.	State of Tamil Nadu	28.35 T	Max. Front axle Load—9.14 T Max. Tandem axle load —19.21 T Max. Single axle load—9.605 T

The above relaxation is subject to the following modifications/conditions :—

(1) Due care shall be taken to assess before hand such obstructions and hindrances as branches of tree and buildings that exist on or along the route and at the curves;

(2) The Central Government shall not be responsible for any damage in transit to the above vehicle or to the things loaded;

(3) The operator/owner shall be responsible for any damage caused to the road maintained or supervised by the Central Government/National Highway Authority or its agency and to the road structures either directly or indirectly due to movement/lying of the said vehicle and the said operator/owner shall be liable to pay the amount as damages that may be assessed by the National Highway Authority:

(4) The said vehicle shall move without operating any obstructions or hindrance to the normal flow of traffic on the road/route;

(5) Necessary warning signals like red flags during day-time and red lights during night shall be used/displayed to indicate clearly and properly the extremities of the vehicle;

(6) Necessary permission shall be obtained by the operator/driver from the local bodies or other Govt. Deptts. for plying/running the said vehicle on their roads;

(7) The authorities of the National Highway bridges, culverts or of other roads or of roads structures shall be entitled to stop the movement of the said vehicle due to exigencies/situations and for reasons of road conditions and road structures;

(8) The speed limit shall be 16 km. per hour:

(9) The weights specified in columns No. 3 & 4 in the Table given above shall not be increased in the said vehicle;

(10) The said vehicle shall move only after sufficient advances/prior notice to the concerned Assistant/Divisional Engineer of the Higwhay/Road;

(11) Separate prior permission from the Railway Administration shall be obtained before crossing any level crossing or any over-bridge/under-bridge of the railway;

(12) While moving on any road-structure/bridge/culvert/causeway, it shall be ensured that the said vehicle move at crawling speed without causing any impact and without applying brakes and while no other vehicle is on that structure.

[No. RT—11042/18/89-MVL]
G. K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991